

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

प्रशांत कुमार
सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, रौंची;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी।
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

रौंची, दिनांक: 26.10.2022

विषय :- वित्तीय वर्ष 2022-23 में जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) अन्तर्गत नई एवं चालू लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण कार्य हेतु कुल रूपये 7.780 लाख (रूपये सात लाख अठहत्तर हजार मात्र) राशि आवंटित करने के संबंध में।

प्रसंग :- प्रशासनिक स्वीकृतादेश संख्या- 63/12.02.2019 (Online A.A.-920/08.07.2022)


महाशय,

वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत निम्नवत् दर्शाये गये लघु शीर्ष /उप शीर्ष के अधीन आवंटन संसूचित किया जाता है :-

(लाख रु. में)

क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/ उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	वित्तीय वर्ष 2022-23 में बजट उपबंध	पूर्व में निर्गत आवंटन	वर्तमान आवंटन	वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल आवंटन
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)/ 4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	101-सतही जल/ 39- नई एवं चालू लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण	05-निर्माण/ 45- निर्माण कार्य विपत्र कोड- 50S47020010139000545	4900.00	219.413	0.000	219.413
2.	50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)/ 4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना/ 39- नई एवं चालू लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण	05-निर्माण/ 45- निर्माण कार्य विपत्र कोड- 50S47020079639000545	5555.00	230.25071	7.780	238.03071
कुल :-					449.663710	7.780	457.443710
आवंटित राशि - रूपये सात लाख अठहत्तर हजार मात्र।							

- उपर्युक्त आवंटित की जा रही राशि का व्यय परिशिष्ट-1 में अंकित कार्य प्रमंडलों के द्वारा नियमानुसार किया जाएगा।
- आवंटित राशि वर्ष 2022-23 के बजट शीर्ष- 47020010139000545 के बजट उपबंध राशि रु. 4900.00 लाख (रूपये उनचास करोड़) तथा बजट शीर्ष- 47020079639000545 के बजट उपबंध राशि रु. 5555.00 लाख (रूपये पचपन करोड़ पचपन लाख) मात्र के अंतर्गत है।
- प्रशासनिक स्वीकृति सं.-63/18-19, दिनांक-12.02.2019 में लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन 304 अदद चेक डेम के निर्माण हेतु उपशीर्ष-19 अंतर्गत रु. 21126.102 लाख के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। मार्च, 2022 तक योजना पर कुल रु. 17437.131 लाख व्यय प्रतिवेदित है। अवशेष राशि रु. 3688.971 लाख का ऑनलाईन स्वीकृतादेश विभागीय पत्रांक 920, दिनांक 08.07.2022 द्वारा क्रमशः OSP-39 में रु. 1512.212 लाख तथा TSP-39 में रु. 2176.759 लाख अंतर्गत निर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 एवं 1681, दि. 10.06.2015 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।


(हरिन्द्र कुमार)
सहायक अभियंता



(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

8. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
9. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
10. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
11. आवंटित राशि से अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
12. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारत करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
13. झारखण्ड वित्त नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्त नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
14. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च 2023 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी ईकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का यथाशीघ्र प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यर्पण, **Online** उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यर्पण प्रतिवेदन **Hard Copy** में **Access No** तथा **Revoke No/Surrender No** (संबंधित **LOC No** सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

नोट : आवंटित राशि को **Online Allotment System** द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका **LOC** एवं **Access no.** परिशिष्ट-1 के स्तंभ-15 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक-यथोक्त।


26/10/22
(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 150

रॉची, दिनांक :- 26.10.2022


प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिनू रॉची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/ रॉची सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनुलग्नक-यथोक्त।



26/10/22
(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 150

रॉची, दिनांक :- 26.10.2022

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/अभियंता प्रमुख-I एवं II, जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनुलग्नक-यथोक्त।


(हरिन्द्र कुमार)
सहायक अभियंता


(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)


26/10/22
(प्रशांत कुमार)
सचिव

मुख्य शीर्ष-4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत व्यय.

लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना,

उप शीर्ष-39-नई एवं बालू लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण,

विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण

बजट उपखंड (2022-23) - रूपये 5555.00 लाख (रूपये पचपन करोड़ पचपन लाख) मात्र

विपन्न कोड- 50S47020079639000545

क्र.	कार्यालय का नाम	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति		एकरचनामा की राशि	मार्च 2022 तक व्यय	वर्ष 2022-23 में			योजना पर कुल अलग आवंटन (10+13)	Online Allotment No./ Access	अभ्युक्ति	
					प्रस्ता	राशि			Online प्रस्ता	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन				कुल आवंटन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	लघु सिंचाई प्रमण्डल, राँची (RNCMIR001)	राँची	बुड़ूम	दिकिखरेवा में बसारी नाला पर चेंकडैम निर्माण	63/2018-19 dt. 12.02.2019	123.207	2097	107.903	112.837	0.000	3.340	3.340	116.177	3398 / 58598	
2		राँची	चान्ही	कुकरडूवा नाला पर श्रुं चेंकडैम निर्माण		160.390	dt.12.02.2019	141.108	136.668	0.000	4.440	4.440	141.108	3399 / 58600	
कुल :-						283.597		249.011	249.505	0.000	7.780	7.780	257.285		

आवंटित राशि - रूपये सात लाख अठहत्तर हजार मात्र।

(हरेन्द्र कुमार)
सहायक अभियंता

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(प्रशांत कुमार)
सचिव